



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126692

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8307 वर्ष 2026

श्रीमती मुन्नी देवी

.....याची(गण)

बनाम

श्रीमती दीपमाला और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : दीपक सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता, कीर्ति कुमार निरखी, शोभित सक्सेना

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि श्रीनगर आनंदबाग, पुलिस थाना चमनगंज, जिला कानपुर नगर में स्थित मकान संख्या 105/585 (जिसे एतदपश्चात "प्रश्नगत भवन" कहा जाएगा) वर्ष 1955 से याची के पति अर्थात् स्वर्गीय सुरेश कुमार की किरायेदारी के अधीन था, जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रश्नगत भवन की स्वामिनी है। सुरेश कुमार की मृत्यु के पश्चात, याची और उसके पुत्रों को किरायेदारी विरासत में मिली। दिनांक 15.09.2025 को अधिशासी अभियंता, नगर निगम, कानपुर द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331(1) के अंतर्गत याची और प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह प्रकथन किया गया है कि प्रश्नगत भवन लगभग 70-80 वर्ष पुराना है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और याची तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने स्तर पर भवन की मरम्मत कराने का निदेश दिया था। तत्पश्चात, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट पश्चिम आयुक्तालय, कानपुर नगर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कार्यवाहियां की गईं और मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत वाद संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



05 वर्ष 2019 (श्रीमती दीपमाला बनाम श्रीमती मुन्नी देवी) के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपने व्यय पर प्रश्नगत भवन को ध्वस्त करने का निदेश दिया गया है। जिस आदेश के विरुद्ध, दांडिक पुनरीक्षण संख्या 711 वर्ष 2025 (मुन्नी देवी बनाम श्रीमती दीपमाला और एक अन्य) दाखिल किया गया है, जिसे भी खारिज कर दिया गया है। इन्हीं आदेशों और निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

2. याची के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याची के पति पिछले 70-80 से अधिक वर्षों से प्रत्यर्थी संख्या 1 के किरायेदार थे और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने केवल याची को प्रश्नगत भवन से बेदखल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत कार्यवाहियां आरंभ की हैं। उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि यद्यपि प्रश्नगत भवन पुराना है किंतु जीर्ण-शीर्ण अवस्था में नहीं है। याची के अतिरिक्त, अन्य किरायेदार भी प्रश्नगत भवन में निवास कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह निवेदन किया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किए बिना आदेश दिनांक 05.11.2025 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में आदेश पारित किया, जो विधि की दृष्टि में कायम रखने योग्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि आदेश दिनांक 05.11.2025 के विरुद्ध, याची ने पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे भी आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक और विधिक पहलू पर विचार नहीं किया और आक्षेपित आदेश पारित किया है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश अवैध, मनमाने हैं और इस न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने योग्य हैं।
3. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश मामले के संपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के पश्चात पारित किए गए हैं और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रदत्त पर्यवेक्षणीय शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।
5. अभिलेख के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि याची का यह स्वीकृत मामला है कि उसके पति वर्ष 1955 से किरायेदार के रूप में निवास कर रहे थे और वर्तमान में याची प्रश्नगत भवन में निवास कर रही है। अधिशासी अभियंता ने प्रश्नगत भवन की मरम्मत के लिए याची और प्रत्यर्थी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 1 को नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331(1) के अंतर्गत एक नोटिस दिनांक 15.09.2025 जारी किया। नोटिस में यह विशिष्ट रूप से कहा गया है कि प्रश्नगत भवन लगभग 70-80 वर्ष पुराना है जिस पर भूतल, प्रथम और द्वितीय तल निर्मित हैं। दीवारों में दरारें दिखाई दे रही हैं और प्रश्नगत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। नोटिस की तामील होने के बावजूद, किसी भी पक्षकार द्वारा मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया गया। विद्वान विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पश्चिम आयुक्तालय, कानपुर नगर ने आक्षेपित आदेश दिनांक 05.11.2025 पारित करते समय, प्रभारी निरीक्षक, पुलिस थाना चमनगंज, जिला कानपुर नगर द्वारा भेजे गए स्थल मानचित्र तथा फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट दिनांक 09.09.2025 का संज्ञान लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि लिंटल बीम और प्लास्टर गिर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रश्नगत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। आदेश दिनांक 05.11.2025 में यह भी लेखबद्ध किया गया है कि छत आर.बी. है और छत भी एक या दो स्थानों पर गिर चुकी है। मामले के संपूर्ण पहलू पर विचार करने के पश्चात, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश दिनांक 05.11.2025 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपनी स्वयं की स्थिति पर प्रश्नगत भवन को ध्वस्त करने का निदेश दिया था। पुनरीक्षण न्यायालय भी, मामले के संपूर्ण तथ्यात्मक और विधिक पहलू तथा अभिलेख पर उपलब्ध रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है और याची द्वारा दाखिल पुनरीक्षण को खारिज कर दिया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात तथा आक्षेपित आदेशों का परिशीलन करने के पश्चात इस न्यायालय का यह मत है कि याची के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित आदेशों को अपास्त करने का कोई भी उचित आधार नहीं बता सके।
7. तदनुसार, याचिका में कोई गुणागुण नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

(डॉ. गौतम चौधरी, न्यायमूर्ति)

जून 10, 2026

एस.अली/साहनी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।